कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

केन्द्रीय विद्यालय मार्ग, जयन्ती कुन्ज झिरिया रीवा
E-Mail : ccf.rwa@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 1542 रीवा,दिनांक 16-02-18

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली

विषय :— निगाही परियोजना में खुली कोयला खदान हेतु 874.146 हे. वनभूमि पर ऊपरी तल अधिकार के नवीनीकरण हेतु।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 4055 दिनांक 26.12.2017

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा निगाही परियोजना में खुली कोयला खदान हेतु 874.146 हे. वनभूमि पर ऊपरी तल अधिकार के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजा गया है। प्रस्ताव का निरीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गई।

1. नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का विष्लेशण रिपोर्ट जैसे कि :—
   (अ) प्रस्तावित स्थल का पूर्व में अनुमोदित कुल क्षेत्रफल एवं खनिज की मात्रा सेफ्टीजोन क्षेत्र के साथ टोपोशीट पर दर्शाये।
   (ब) विद्यमान खदान में अब—तक कितने क्षेत्र पर उत्खनन किया जा चुका है एवं उत्खनन हेतु खदान के अंदर व 500 मीटर की परिधि में कितने अस्थाई रास्ते बनाए गए हैं, दिशा निर्देश के साथ टोपोशीट पर दर्शायें।
   (स) खदान की वर्तमान प्रोग्रेश रिपोर्ट (कितने क्षेत्र पर उत्खनन किया जा चुका है एवं कितने पर किया जाना बाकी है) खनिज अधिकारी अथवा खनिज विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करें।
2. पूर्व में प्राप्त सैद्वांतिक स्वीकृति के आधार पर किए गए अब तक खनन कार्य में सैद्वांतिक स्वीकृति के शर्तो की पालन स्थिति क्या है बिन्दुवार सैद्वांतिक स्वीकृति क्रमांक 8—62 / 86—एफ—सी दिनांक 18.06.1987 के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करें।
3. पूर्व में प्रदान की गई सैद्वांतिक स्वीकृति में शर्त क्रमांक 01 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की क्या स्थिति है एवं वृक्षों के विकास की स्थिति के साथ रोपित दिनांक दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव पर भाग—II की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करें।
5. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति प्रस्ताव पर संलग्न नहीं है।
6. वनमण्डलाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं विशेष टिप्पणी प्रस्ताव में मूल प्रति संलग्न करें।
7. पूर्व में प्राप्त सैद्वांतिक स्वीकृति के आधार पर स्थल पर प्रभावित होने वाले वृक्षो का पातन का दिनांक एवं प्राप्त वनोपज की मात्रा के साथ वनोपज की नीलामी उपरांत प्राप्त राजस्व का विवरण प्रस्तुत करें।

संलग्नः— प्रस्ताव मूलतः 04 प्रतियों में।

16/2/18

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)